न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी, नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 13/2018/अपील

1. धर्मपाल पुत्र बीरबल 2. पतासी पत्नी बीरबलराम 3. भानी पत्नी गोपालराम	समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम रूकनसर, तहसील रामगढ़ शेखावाटी, जिला सीकर।

अपीलान्टस्

बनाम

1. प्यारेलाल पुत्र गोपाल 2. महेन्द्र कुमार पुत्र मालाराम 3. सुभाष चन्द पुत्र बैजाराम 4. राजेश कुमार पुत्र मालाराम 5. हस्तीमल पुत्र मेघाराम 6. मोहन पुत्र गोपाल 7. सुभाष पुत्र बीरबलराम 8. केशरदेव पुत्र बीरबलराम 9. तहसीलदार, रामगढ़ शेखावाटी, जिला सीकर	समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम रूकनसर, तहसील रामगढ़ शेखावाटी, जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितः–
1. श्री सांवरमल चौधरी अधिवक्ता अपीलान्टस् की ओर से।
2. श्री प्रभातीलाल अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस् संख्या 1 से 5 की ओर से।

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 08.02.2018 अन्तर्गत धारा 225 आर. टी. एक्ट द्वारा तहसीलदार, रामगढ़ शेखावाटी

निर्णय

निर्णय दिनांकः 19 अप्रैल, 2018

1. अपीलान्टस् ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है किः–
   (1) रेस्पोडेन्टस् संख्या 1 से 5 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी के समक्ष दिनांक 22.08.2017 को एक निराधार आवेदन बाबत खेत

जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

का रास्ता दुरूस्त करवाने इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण 4–5 परिवारों का खेत ग्राम रूकनसर में पूर्व की तरफ खसरा नम्बर पुराना 138/200 व नया 338 है, जिनकी खातेदारी वर्तमान में मेघा पुत्र मुकन्दा हिस्सा 1/3 व रामकरणी पत्नी माला, जगदीश, राजेश, मक्खनलाल महेन्द्र पुत्रगण मालाराम, सावित्री, संतरा, विमला पुत्रियां मालाराम हिस्सा 1/3, सोनादेवी पत्नी स्व. बैजाराम, सुभाषचन्द पुत्र बैजाराम, विमला, गायत्री पुत्रियां बैजाराम हिस्सा 4/30 उम्मेश, मुकेश पुत्रगण संतोष देवी पुत्री बैजाराम, अनिता पुत्री संतोष देवी पुत्री बैजाराम, हिस्सा 1/30 प्यारेलाल पुत्र गोपालराम, भगवती पुत्री गोपालराम हिस्सा 1/6 जाति जाट निवासीगण रूकनसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी के नाम से है।

(2) उक्त खातेदारों का रास्ता ग्राम रूकनसर ब्रहमणों की कोठी से ब्राहमणों के खेत खसरा नम्बर पुराना 95 व नये 261 में पूर्व की तरफ चलकर फिर दक्षिण को घूम जाता है तथा खसरा नम्बर पुराना 113 व नये 280 व 325 में गोपाल पुत्र पीथा जिनके वारिस मोहनलाल पुत्र गोपाल हिस्सा 1/3, सुभाष, केशरदेव, धर्मपाल पुत्रगण बीरबल पतासी देवी पत्नी बीरबल हिस्सा 1/3 भानी पत्नी स्व. गोपाल हिस्सा 1/3 कौम जाट निवासीगण रूकनसर के नाम से है, के खेत खसरा नम्बर 280 में उत्तरी व पश्चिमी कोणे में प्रवेश कर पूर्व की तरफ खेत की उत्तरी सींव के पास से होता हुआ चलकर इन्हीं के खेत खसरा नम्बर 325 की भी उत्तरी पश्चिम कोने में नायकों के खेत की कूंट के पास से प्रवेश कर पूर्व की ओर चलकर हमारे खेत खसरा नम्बर पुराना 138/200 व नया 338 में प्रवेश कर जाता है। यह रास्ता प्रचलित व कदीमी है, वर्ष 1971 में गोपाल पुत्र पीथा ने इस रास्ते में अवरूद्वता पैदा की, हमें जाने से रोका, तब हमने पंचायत ताखलसर में रास्ता दुरूस्ती हेतु आवेदन किया, पंचायत ने विधिवत् सुनवाई कर दिनांक 08.06.1971 को निर्णय कर दिया व दिनांक 10.06.1971 को हमारा रास्ता दुरूस्त करवा दिया, जिसकी अपील गोपाल पुत्र पीथा ने अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर के पास की।

(3) माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर ने दिनांक 12.09.1973 को विधिवत सुनवाई कर गोपाल की अपील खारिज कर दी व पंचायत निर्णय बहाल कर दिया, तदनुसार दिनांक 10.06.1971 से आज तक हम इसी कदीमी रास्ते से आवागमन करते हैं। गोपाल से उक्त निर्णय के विरूद्व सिविल कार्ट व अन्य अपर कोर्ट में कहीं चाराजोही नहीं की है किन्तु इन्होनें ग्राम पंचायत में पुनः

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

निर्णय करवाने हेतु आवेदन किया, पंचायत ने उसी रास्ते का पुनः निर्णय दिनांक 23.03.1973 को दिया, जिसमें रास्ते को पहले गोपाल पुत्र सुरजा का खेत जो उत्तर साईड में सटता हुआ है, में प्रवेश करवाकर फिर गोपाल पुत्र पीथा के खेत में उत्तरी सींव के सटते हुए चलकर बला नायक की कूंट से होता हुआ हमारे खेत में प्रवेश करा दिया, जिसकी अपील गोपाल पुत्र सुरजा व लक्ष्मण पुत्र बला नायक ने जिलाधीश सीकर के कोर्ट में की।

(4) जिलाधीश सीकर ने पंचायत निर्णय दिनांक 23.03.1973 को अपने निर्णय दिनांक 31.03.1975 में निरस्त करते हुए पूर्व पंचायत द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 08.06.1971 व अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 12.09.1972 को बरकरार रख दिया। तदानुसार हमारे खेत का रास्ता गोपाल पुत्र पीथा के खेत में से था तथा कोर्ट फैसले भी उसी अनुसार हुए है। दिनांक 10.06.1971 को हमारे पुराने रास्ते को पुनः पंचायत द्वारा दुरस्त करवा दिया था। हम अभी तक उक्त रास्ते से ही बराबर आवागमन व पशु ले जाते हैं। अब गोपाल के वारिसों में मोहनलाल पुत्र गोपालराम, महेन्द्र पुत्र मोहनलाल, महेन्द्र पुत्र बीरबल ने उक्त रास्ते में पुनः अवरूद्धता पैदा की दी है तथा हमें आने जाने से रोकते हैं।

(5) उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होते ही कार्यालय में पद स्थापित सुभाष पटवारी जो कि रेस्पोडेन्टस् संख्या 1 से 5 का पारिवारिक सदस्य है, के प्रभाव में आकर पीठासीन अधिकारी सरिता मांडिया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होते ही भू–अभिलेख निरीक्षक रामगढ़ शेखावाटी तथा पटवार हल्का ताखलसर को बिना अपीलांट को सुनवाई को अवसर दिये बिना ही पुलिस सहायता सहित रास्ता चालु करने निमित आदेश पारित कर दिया गया। जिसके बारे में अपीलांटस् को जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस सम्बन्ध में एतराज किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.09.2017 को प्रकरण धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण में सुनवाई पर लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पूर्व पीठासीन अधिकारी सरिता मांडिया द्वारा प्रकरण में अन्यथा रूचि लिये जाने के कारण अपीलांटस् को उनसे न्याय की उम्मीद नहीं होने के कारण इस न्यायालय के समक्ष स्थानान्तरण आवेदन प्रस्तुत किया गया, जो पूर्व पीठासीन अधिकारी के स्थानान्तरण हो जाने के कारण प्रभावहीन हो गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा न्यायालय में

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

पदस्थापित सुभाष पटवारी के अन्यथा प्रभाव में आकर बिना अपीलांटस् को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांटस् का जवाब बन्द किये जाने बाबत आदेश पारित करते हुए आदेश दिनांक 08.02.2018 के माध्यम से अपीलांटस् के खेत खसरा नम्बर 280 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे रास्ता चालू करने निमित अवैध आदेश पारित कर दिया गया, जिसके विरूद्व अपीलांटस् की ओर से यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

(6) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटस् को समुचित रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। दिनांक 06.02.2018 को अपीलांटस की जवाबदेही गलत रूप से बन्द की गई तथा अपीलांटस को सबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया।

(7) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपनाई जाने वाली प्रकिया की कोई पालना नहीं की गई। न तो अपीलांटस को सबूत साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया तथा न ही गिरदावरी हल्का तथा पटवारी हल्का से उनकी रिपोर्ट जिसे की अपीलाधीन बनाया गया है, से अपीलांटस को जिरह का कोई मौका दिया गया तथा न ही प्रकरण में पक्षकारान की बहस ही सुनी गई।

(8) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में जिन पूर्ववर्ती आदेशों का हवाला दिया गया है वे काफी पुराने हैं तथा उनकी कियान्विति कभी भी नहीं हुई है।

(9) रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 5 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में वर्णित चाहा गया रास्ता कभी भी मौके पर अवस्थित नहीं रहा है, उनके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र भूमियां खसरा नम्बर 277, 278, 279 के खातेदारों से मिलीभगत करके अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था क्योंकि अपीलांटस के खेत खसरा नम्बर 280 में आवागमन हेतु सदैव से ही 12 फिट चौड़ा रास्ता खसरा नम्बर 277, 278, 279 में से होकर रहा है। जिसे बन्द करने की कुचेष्टाओं में खेत खसरा नम्बर 277, 278, 279 के खातेदारों ने रेस्पोडेन्टस् संख्या 1 लगायत 5 से मिलीभगत करके अपीलांटस के खेत में दूसरा रास्ता लगता होना दर्शित करना चाहते हैं। अपीलांटस द्वारा अपने रास्ते जो कि खसरा नम्बर 277, 278 व 279 में से होकर रहा है, के समबन्ध में सिविल न्यायालय के समक्ष भी मुकदमा दायर कर रखा है, जिसमें

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

जिला कलक्टर, सीकर

Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

हुए मौका निरीक्षण की रिपोर्ट से भी अपीलांटस के खेत में अपीलाधीन आदेश में वर्णित रास्ता मौके पर नहीं है तथा अपीलांटस द्वारा चाहा गया रास्ता ही मौके पर पाया गया है।

(10) रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 5 के खेत खसरा नम्बर 338 के दक्षिणी दिशा में खेत खसरा नम्बर 329 व 331/442 अवस्थित है, जिसमे से होकर रूकनसर से ताखलसर जाने वाली आम सड़क गुजरती है। भूमि खसरा नम्बर 331 व 329, 333/442 में से कई सह खातेदार भी एक ही है। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 5 तथा खेत खसरा नम्बर 338 के अन्य सभी सहखातेदार भूमि खसरा नम्बर 331/442 में प्रवेश करते हुए खसरा नम्बर 329 में से होते हुए खसरा नम्बर 338 में प्रवेश कर जाते हैं तथा सदैव इसी रास्ते से ही आवागमन करते चले आ रहे हैं तथा यही लघुत्तम रास्ता है लेकिन रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 5 ने निराधार रूप से भूमि खसरा नम्बर 277, 278, 279 के खातेदारों से मिलीभगत करके आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का की एकतरफा रिपोर्ट लेकर अपीलांटस को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अवैध रूप से अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.02.2018 की कियान्विति की आड़ में मनमर्जी की चौड़ाई का रास्ता निकालने पर आमादा फसाद हो रखे हैं, जिनका उन्हें कोई कानूनी हक या अधिकार नहीं है। यदि वे अपनी कुचेष्टाओं में कामयाब हो जाते हैं तो अपीलांटस को विधिक अधिकारों पर कुठाराघात होकर ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में किसी अन्य रूप में किया जाना सम्भव नहीं है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता प्रभाती लाल उपस्थित आये।

3. रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 5 की ओर से अपने जवाब में अंकित किया है कि:—

(1) अपीलांटस ने इस न्यायालय द्वारा धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनांक 12.09.1972 को अपील संख्या 72/1971 उनवानी गोपाल बनाम मेघाराम आदि में पारित निर्णय को डिफीट देने की गरज से सर्वथा मिथ्या कथन के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की है।

(2) अपील मीमो में पूर्ववर्ती आदेशों को काफी पुराना होना व उनकी कियान्विति नहीं होना का मिथ्या कथन अंकित किया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त

जिला कलक्टर, सीकर

Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

है कि पूर्ववर्ती निर्णय को जब तक अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जावे जब तक उक्त निर्णय का पश्चातवर्ती सभी कार्यवाहियों पर अधिभावी प्रभाव रहता है, जिसे पुराना कहकर दरकिनार किया जाने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।

(3) इस न्यायालय के समक्ष पूर्व की अपील संख्या 72/1971 की आदेशिका दिनांक 07.07.1971 का अवलोकन किया जाने से स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती निर्णय का निष्पादन दिनांक 10.06.1971 को ही हो गया था, उसके पश्चात प्रचलित रास्ते में कभी भी अपीलांटस अथवा उनके पूर्वजों द्वारा रूकावट नहीं डाली गई थी। उक्त रास्ता नियमित रूप से चालु रहा जिसका उपयोग–उपभोग प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वज निरन्तर एवं निर्विवाद रूप से करते रहे हैं।

(4) अपीलांटस ने उक्त आवागमन के रास्ता में अवरोध पैदा करने के कारण ही प्रार्थीगण ने तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी के समक्ष दिनांक 22.08.2017 को आवेदन प्रस्तुत किया था, इसलिए इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णित अपील संख्या 72/1971 उनवानी गोपाल बनाम मेघाराम आदि, एवं न्यायालय ने अपील संख्या 53/1974 गोपाल बनाम मेघाराम में निर्णय पारित करके अपील संख्या 72/1971 के निर्णय दिनांक 12.09.1972 एवं ग्राम पंचायत ताखलसर के निर्णय निणय दिनांक 53/1974 की प्रमाणित प्रति पेश की है।

(5) खसरा नम्बर 261 वाकै ग्राम रूकनसर की भूमि में 0.14 है. भूमि गैर मुमकिन आबादी भूमि है तथा खसरा नम्बर 261 में डामर की सड़क है। उसी खसरा नम्बर 261 में से रेस्पोडेन्टस की कृषि भूमि में आवागमन का रास्ता खसरा संख्या 280 व 325 में से होकर एक कदीमी रास्ता है। उक्त रास्ते को अवरूद्व करने की नियत से अपीलांटस ने साजिसी तौर पर न्यायालय सिविल न्यायाधीश फतेहपुर सीकर के समक्ष वाद संख्या 69/2017 उनवानी भानी आदि बनाम सागरमल आदि प्रस्तुत किया था, जिसका भी अपीलांटस ने इस अपील में उल्लेख किया है तथा यह अंकित किया है कि उक्त वादपत्र सिविल न्यायालय में विचाराधीन है परंतु उक्त वादपत्र दिनांक 21.03.2018 को खारिज किया जा चुका है जिसके पृष्ठ संख्या 5 के पैरा संख्या 18 में भी चुनौतीग्रस्त रास्ता का उल्लेख हुआ है।

अतः रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार किया जाकर दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिया जाने की कृपा करें।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

4. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

5. वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 5 के खेत खसरा नम्बर 338 के दक्षिणी दिशा में खेत खसरा नम्बर 329 व 331/442 अवस्थित है, जिसमे से होकर रूकनसर से ताखलसर जाने वाली आम सड़क गुजरती है। भूमि खसरा नम्बर 331 व 329, 333/442 में से कई सह खातेदार भी एक ही है। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 5 तथा खेत खसरा नम्बर 338 के अन्य सभी सहखातेदार भूमि खसरा नम्बर 331/442 में प्रवेश करते हुए खसरा नम्बर 329 में से होते हुए खसरा नम्बर 338 में प्रवेश कर जाते हैं तथा सदैव इसी रास्ते से ही आवागमन करते चले आ रहे हैं तथा यही लघुत्तम रास्ता है लेकिन रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 5 ने निराधार रूप से भूमि खसरा नम्बर 277, 278, 279 के खातेदारों से मिलीभगत करके आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का की एकतरफा रिपोर्ट लेकर अपीलांटस को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अवैध रूप से अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.02.2018 की क्रियान्विति की आड़ में मनमर्जी की चौड़ाई का रास्ता निकालने पर आमादा फसाद हो रखे हैं, जिनका उन्हें कोई कानूनी हक या अधिकार नहीं है। अतः न्यायाहित में अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.02.2018 की क्रियान्विति स्थगित किया जाना प्रार्थनीय है।

6. रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 5 के अधिवक्ता का मुख्य कथन है कि खसरा नम्बर 261 में से रेस्पोडेन्टस की कृषि भूमि में आवागमन का रास्ता खसरा संख्या 280 व 325 में से होकर एक कदीमी रास्ता है। उक्त रास्ते को अवरूद्व करने की नियत से अपीलांटस ने साजिसी तौर पर न्यायालय सिविल न्यायाधीश फतेहपुर सीकर के समक्ष वाद संख्या 69/2017 उनवानी भानी आदि बनाम सागरमल आदि प्रस्तुत किया था, जिसका भी अपीलांटस ने इस अपील में उल्लेख किया है तथा यह अंकित किया है कि उक्त वादपत्र सिविल न्यायालय में विचाराधीन है परंतु उक्त वादपत्र दिनांक 21.03.2018 को खारिज किया जा चुका है जिसके पृष्ठ संख्या 5 के पैरा संख्या 18 में भी चुनौतीग्रस्त रास्ता का उल्लेख हुआ है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जाना प्रार्थनीय है।

7. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि :–

जिला कलक्टर, सीकर

Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

(1) मुताबिक न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर के निर्णय दिनांक 12.09.1972 उनवानी गोपाल बनाम मेघाराम वगै. में निर्णय दिया गया है कि:–`` The Gram Panchayat has properly examined the case here and passed a correct order. The action of Panchayat is, therefore, justified and if any party is aggrieved against the order of the Gram panchayat, the course is open for them to have civil redress. The appeal is, therefore, dismissed.``

(2) मुताबिक न्यायालय जिलाधीश सीकर के निर्णय दिनांक 31.03.1975 में अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर के फैसले के अनुसार पूर्ववत बरकरार रखा गया। न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर सीकर ने निर्णय पंचायत दिनांक 23.03.1973 को निरस्त किया गया है।

(3) तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी निर्णय दिनांक 08.02.2018 रेस्पोडेन्टस का अपने खेत तक पहुंचने का सुखाधिकार बाधित हुआ है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ने प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार रेस्पोडेन्टस को उनका सुखाधिकार प्रदान किया जाना न्याय संगत है। जिसके तहत भू. अ. निरीक्षक रामगढ़ को आदेश दिया गया कि पटवार मण्डल ताखलसर के राजस्व ग्राम रूकनसर के खसरा नम्बर 280 की उत्तरी सीमा जो खसरा नम्बर 261 के पूर्वी सीमा के सहारे स्थित है वहां पर उक्त रास्ते के अवरोध को हटाने एवं वहां से खसरा नम्बर 280 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 280 के उत्तर पूर्व दिशा में रेस्पोडेन्टस के खेत खसरा नम्बर 325 तक रास्ता खुलवाने का आदेश दिया गया है।

(4) मुताबिक रिपोर्ट इ. भू. अ. निरीक्षक रामगढ़ दिनांक 09.03.2018 ग्राम रूकनसर में खसरा नम्बर 261 से 280 से खसरा नम्बर 338 तक प्रचलन रास्ता की जांच की गई है। खसरा नम्बर 261 में पक्की सड़क से दक्षिण दिशा में मुड़कर जाने से रोकने के लिए सड़क के किनारे हाल में तारबन्दी की हुई है। खसरा नम्बर 261 से दक्षिण दिशा में मुड़कर जाने वाले पूर्ववत रास्ते को रोकने के लिए खेजड़ी के पास लकड़ी डाली हुई है। यहां से खसरा नम्बर 280 में प्रवेश के स्थान पर पूर्ववत कांटों की बाड़ व तारबन्दी की हुई है। खसरा नम्बर 280 में अन्दर जाने का रास्ता बन्द होने से खसरा नम्बर 261 में खड़े होकर देखा गया है, भूमि पड़त है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खसरा नम्बर 338 को जाने के लिए नक्शे में कोई रास्ता अंकित नहीं है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

(5) मुताबिक न्यायालय हाई कोर्ट राजस्थान बेंच जयपुर के निर्णय दिनांक 20.03.2018 उनवानी प्यारेलाल वगै. बनाम भानीदेवी वगै. में निर्णय दिया गया है कि:— `` In the circumastances, I do not find any error of jurisdiction or capriciousness/perversity to warrant interference with the inpugned order dated 08-03-2018 under the supervisory jurisdiction of the Court. This petition is accordingly dismissed however with the caveat that the petirioner`s right determined under section 251 of the Act of 1955 under the order dated 08-02-2018 passed by the Tehsildar, Ramgarh Shekhawati, Sikar and the order dated 12-09-1972 passed by the Additional Collector will not be adversely affected by the decree which the plaintiff may obtain in his suit. That could be done only by way of appellate/revisional proceedings taken against the order passed under Section 251 of the Avt of 1955. The petition stands dismissed accordingly.``

(6) मुताबिक सिविल न्यायालय फतेहपुर उनवानी भानीदेवी बनाम सागरमल वगै. निर्णय दिनांक 21.03.2018 वादीगण भानीदेवी की ओर से प्रस्तुत वाद बाबत उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज की गई है।

(7) अपीलांटस द्वारा एक आवेदन आपत्ति मौका कमिश्नर रिपोर्ट द्वारा तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी दिनांक 09.03.2018 से रेस्पोडेन्टस के खेत में आवागमन हेतु काम में आने वाले रास्ते जो कि खसरा नम्बर 331, 331/442 व 329 में से होकर खसरा नम्बर 338 में से चालू है, के बाबत रिपोर्ट चाही गई है, जिसमें ग्राम रूकनसर के लगभग 31 नागरिकों के हस्ताक्षरयुक्त है। इ. भू. अ. निरीक्षक रामगढ़ द्वारा दिनांक 09.03.2018 मौका रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

(8) अपीलांटस द्वारा दिनांक 27.03.2018 को अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें नक्शा सर्वेशीट व पड़ोसियों के शपथ पत्र शामिल हैं। नक्शा सर्वेशीट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 338 का सबसे निकटतम कदीमी रास्ता खसरा नम्बर 331, 331/442 व 329 में से जाता है, जो डामर रोड़ से मिलता है। पड़ोसियों द्वारा दिये गए शपथ पत्र में भी यह अंकित किया गया है कि खसरा नम्बर 338 में सदैव से ही आवागमन ग्राम रूकनसर से ताखलसर जाने वाली सड़क से होते हुए भूमि खसरा नम्बर 331/442 में प्रवेश करते हुए भूमि खसरा नम्बर 329 में

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

प्रवेश कर खसरा नम्बर 338 में जाते रहे हैं तथा वर्तमान में भी इन्हीं खसरा नम्बरान में से खसरा नम्बर 338 में आवागमन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त रास्ते के सम्बन्ध में कोई ऐसा तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह सिद्व होता है कि उसे उक्त रास्ते से आवागमन में कोई परेशानी है।

8. उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि यद्यपि पूर्व में यह एक प्रचलित रास्ता था किन्तु फिर भी किसी भी सेटलमेंट सर्वे में इस रास्ते का अंकन न होना भी एक विचारणीय बिन्दु है। तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.02.2018, पूर्व के निर्णयों के आधार पर किया गया प्रतीत होता है। अपीलांट द्वारा दिनांक 27.03.2018 के आवेदन में दर्शायी गई डामर सड़क एवं उसके खसरा नम्बर 331, 329 व 338 के रास्ते का जिक्र तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी द्वारा पारित निर्णय में नहीं है। रेस्पोडेन्ट ने इस नये तथ्य बाबत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जो यह दर्शाता हो कि उन्हें इस नये रास्ते से कोई परेशानी है। अतः रेस्पोडेन्ट के सुखाचार का बिन्दु भी प्रभावित नहीं होता है। जमाबन्दी के विवरण में भी खसरा नम्बर 331, 329 व 338 का स्वामित्व रेस्पोडेन्ट के सहखातेदार का बताया गया है। अतः स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट के खसरा नम्बर 338 का सबसे निकटतम रास्ता खसरा नम्बर 331, 331/442 व 329 में से है, जो रेस्पोडेन्ट के सहखातेदार की भूमि से होकर गुजरता है और ड़ामर रोड़ से मिलता है। पत्रावली पर प्रस्तुत मौके के फोटोग्राफ में भी संदर्भित रास्ता स्पष्ट रूप से दिखायी नहीं दे रहा है। **अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी का निर्णय दिनांक 08.02.2018 अपास्त किया जाता है।** फिर भी रेस्पोडेन्ट अन्य रास्ते की मांग करता है तो वह सक्षम न्यायालय में धारा 251ए के तहत कार्यवाही कर सकता है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

9. निर्णय आज दिनांक : 19 अप्रैल, 2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला कलक्टर, सीकर
जिला कलक्टर, सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner